



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या – 201/2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आयुष विभाग, लखनऊ, एवं 2 अन्य

...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

डॉ. अभय कुमार प्रजापति एवं एक अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- विमलेश कुमार सिंह, शिवांग तिवारी

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 1/ 2025, विलंब क्षमा हेतु आवेदन पर आदेश)

1. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री कुलदीप नाग और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवांग तिवारी को सुना गया।
3. यह रिट ए संख्या 2024 की 4614, अभय कुमार प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31.05.2024 के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 सह पठित अध्याय IX नियम X के अंतर्गत विशेष अपील दायर करने में 311 दिनों के विलंब को क्षमा के लिये आवेदन है।
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील दायर करने की सीमा अवधि, नियमावली 1952 के अध्याय IX नियम 10 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के साथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 117 के अनुसार तीस दिन है।

5. हमने इस अपील को दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया है और इसे न तो संतोषजनक और न ही पर्याप्त पाया है। आक्षेपित निर्णय अपीलकर्ताओं के कार्यालय में दिनांक 05.06.2024 को प्राप्त हुआ था, फिर भी, पहली बार, आयुर्वेदिक सेवा निदेशालय, लखनऊ, उ.प्र. ने इसके लगभग दो माह बाद दिनांक 03.08.2024 को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। इस दो माह के विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह केवल अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए दुलमुल और लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, निर्देश के बाद, राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से विधिक राय दिनांक 09.10.2024 को मांगी गई थी, अर्थात् दो माह के और विलंब सहित, जिसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। विधिक राय दिनांक 23.10.2024 को प्रदान की गई थी। दिनांक 23.10.2024 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने के बाद, सरकार ने पुनः विधि विभाग से राय मांगी। दिनांक 04.04.2025 को, अर्थात् लगभग पाँच माह से अधिक समय बाद, विशेष अपील दायर करने के लिए विधिक राय मांगते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पुनः एक पत्र भेजा गया। इसके बाद ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता से संपर्क किया गया। विधिक राय एक बार पुनः दिनांक 07.04.2025 को प्रदान की गई और उसके बाद दिनांक 16.04.2025 को विधि विभाग द्वारा विशेष अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की गई। पाँच माह से अधिक की इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान क्या हुआ, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। शपथ पत्र के पैरा संख्या 6 में कहा गया है कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.05.2024 एक खंडपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या 2024 की 64 में दिए गए एक अन्य निर्णय पर आधारित है, जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं (सिविल) प्रस्तुत की गई थीं और डायरी नंबर आवंटित किया गया था, इसलिए राज्य सरकार निर्णय दिनांक 31.05.2024 के विरुद्ध विधिक मार्ग अपनाने पर विचार कर रही थी। राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम भावना; एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 14382/2025** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें राज्य ने **डॉ. भावना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; विशेष अपील संख्या 2024 की 64** के मामले में निर्णय को चुनौती दी थी, जिसका उल्लेख विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र के पैरा संख्या 6 में किया गया है।

6. यह विशेष अपील अंततः दिनांक 08.05.2025 को दायर की गई थी। इस बीच, अधिकारी/कर्मचारी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटते रहे। एक मेज से दूसरी मेज तक फाइल की आवाजाही तो शायद ही कोई स्पष्टीकरण हो, और इस प्रकार के अत्यधिक विलंब के लिए स्वीकार्य तो बिल्कुल भी नहीं है। *शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं एक अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णय की कसौटी पर परखने पर, अत्यधिक विलंब के लिए दिया गया स्पष्टीकरण शायद ही स्वीकार्य है।

7. *शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त)* के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब क्षमा करने और संबंधित बिन्दुओं के संबंध में विधि को स्पष्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त) के मामले में यह धारित किया है कि 'पर्याप्त कारण' शब्द अपने आप में लापरवाही और पुराने दावों की बीमारी का कोई आसान इलाज नहीं है। इस शब्द का निर्वचन न्याय-उन्मुख लचीलेपन के साथ किया जाना चाहिए ताकि निर्दोष वादकारियों को उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के लिए दंडित न किया जाए। न्यायालय को घोर लापरवाही, आशयपूर्ण निष्क्रियता, या लापरवाही युक्त उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 'मुकदमेबाजी समाप्त होने में राज्य का हित' का सिद्धान्त अशक्त होगा तथा उस निश्चितता को अस्थिर किया जाएगा जिसे परिसमा विधि द्वारा सुरक्षित किया जाना होता है। "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जो परिसीमा के अनुशासन को संरक्षित करते हुए वास्तविक न्याय को बढ़ावा दे। न्यायालय को सहानुभूति या तकनीकी जड़ता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तथ्य का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने उपचार प्राप्त करने में तर्कपूर्ण तत्परता के साथ उद्यम किया है। जहाँ स्पष्टीकरण सद्भावना, विश्वसनीय एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप होता है, वहाँ न्यायालय ने विलंब को क्षमा करने में रुचि प्रदर्शित की है। जहाँ उपेक्षापूर्ण रवैया, सद्भावना का अभाव, या लापरवाह रुख प्रतीत होता है, वहाँ विलंब क्षमा करना अस्वीकृत कर दिया गया है। हमारी राय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये बाद की टिप्पणियाँ इस मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होती हैं। अपीलकर्ताओं ने सम्यक तत्परता से कार्य नहीं किया है और न ही उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनकी ओर से उपेक्षापूर्ण रवैया, सद्भावना की कमी और लापरवाही भरा रुख प्रतीत होता है। इतने ज़्यादा विलंब से ऐसी अपील दायर करने से निश्चित रूप से यहाँ चुनौती के अंतर्गत निर्णय द्वारा विरोधी पक्षों के अधिकारों को हानि होती है। इसलिए, शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के दृष्टिगत यह भी विचार योग्य एक प्रासंगिक कारक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणदोष के आधार पर सशक्त मामला होना विलंब क्षमा करने का कोई आधार नहीं है। जब विलंब क्षमा करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष आता है, तो जांच सिर्फ इस बात तक सीमित होती है कि क्या विहित समय सीमा के अंतर्गत अपील दायर करने अथवा या कार्यवाही न करने के लिए "पर्याप्त कारण" बताया गया है। मामले का गुणदोष इस जांच से पूर्णतः भिन्न होता है। यदि न्यायालय इस स्तर पर मामले के गुणदोष को परखेगा, तो यह प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्नों और वास्तविक निर्णय के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देगा, जिससे न्यायिक जांच के दो अलग-अलग चरण परस्पर मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि दावा विधिक या तथ्यात्मक रूप से सशक्त है या नहीं, बल्कि मात्र यह सुनिश्चित करना है कि क्या आवेदक के पास विलंब के लिए कोई उचित कारण था। "पर्याप्त कारण" के परीक्षण को वाद के गुणदोष के परीक्षण से विनिमय नहीं जा सकता। विलंब क्षमा करना विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित विवेक का मामला है, न कि वाद में सफलता की संभावनाओं पर। यदि गुणदोष पर विचार किया जाता है, तो सशक्त मामले वाले वादकारी को लापरवाही के बावजूद विलंब क्षमा करने का लाभ मिल सकता है, जबकि दुर्बल मामले को पर्याप्त हेतुक होने पर भी खारिज किया जा सकता है। इससे विधि का असाम्यपूर्ण एवं असमान रीति से प्रयोग होगा, जिससे परिसीमा के सिद्धांत का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, जिसे एक समान मानदंड बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और व्यावहारिक कारण बताया है कि विलंब क्षमा करने के चरण पर गुणदोष पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, वह यह है कि इससे मामला वास्तव में सुने जाने से पहले ही न्यायालय का मस्तिष्क किसी एक पक्षकार के विरुद्ध पूर्वाग्रही हो सकता है। गुणदोष पर समय से पहले विचार करने पर, न्यायालय अनजाने में एक ऐसा विचार निर्मित कर सकता है जो बाद में निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस स्तर पर जरूरी न्यायिक अनुशासन की यह अपेक्षा है कि मात्र विलंब के कारण का परीक्षण किया जाए, अन्य कुछ नहीं। इसलिए, हम इस स्तर पर मामले के गुणदोष पर विचार नहीं कर सकते।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार भी किया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए कोई संभावना है या नहीं। इस विषय पर कई पूर्वनिर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः, न्यायालय का यह मत था कि 'पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड', (2012) 3 SCC 563 के निर्णय से पूर्व, विलंब क्षमा करने के मामलों में राज्य और उसकी एजेंसियों के प्रति न्यायिक

सहानुभूति का रवैया था, क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका विशिष्ट होता है। साथ ही, इसके प्रतिकूल विचार भी उपलब्ध थे, जैसे कि 'पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एडमिनिस्ट्रेटर, हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, (1972) 1 एससीसी 366' और 'लंका वेंकटेश्वरलू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2011) 4 एससीसी 363' जिसमें कहा गया था कि, चाहे वादकारी सरकारी संस्था हो या कोई निजी व्यक्ति, परिसीमा के प्रावधान समान रूप से लागू होंगे, और न्यायालय द्वारा प्रदर्शित कोई छूट भी समान रहेगी। **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के बाद वर्तमान विधि स्पष्ट है। विलंब - क्षमा एक अपवाद रहेगी, नियम नहीं। सरकारी मुकदमों में सम्मिलित लोगों को भी, निजी पक्षकारों की भांति, विलंब हेतु वास्तविक, पर्याप्त और ठोस कारण बताना होगा। ऐसे किसी कारण के अभाव में, विलंब को मात्र आवेदक की पहचान के आधार पर क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि 'राजस्थान राज्य एवं एक अन्य बनाम बाल किशन माथुर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि, (2014) 1 एससीसी 592' और 'शिव राज सिंह बनाम भारत संघ, (2023) 10 एससीसी 531' के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** का निर्णयाधार वास्तव में द्विस्तरीय है। पहला यह कि राज्य या उसकी किसी भी एजेंसी को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के मामलों में विशेष वरीयता नहीं दी जा सकती। राज्य को भी उसी मानदंड से परखा जाना चाहिए जैसे किसी निजी वादकारी को। ऐसा न करने से परिसीमा की शुचिता से समझौता होगा। दूसरा यह कि सरकारी विभागों द्वारा नौकरशाही की लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक बाधाओं, या प्रशासनिक अक्षमताओं पर विलंब क्षमा करने के आधार के रूप में बार-बार विश्वास करना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उद्देश्य के लिए सदैव 'पर्याप्त कारण' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कारणों को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, तो परिसीमा विधि द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशासन ही अशक्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में अंतहीन अनिश्चितता होगी। हमने उक्त निर्णय के अन्य भागों का परिशीलन भी किया है, जिसमें प्रस्तर 214 और उसके आगे के प्रस्तर सम्मिलित हैं।

10. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, न सिर्फ विलंब बहुत अधिक है, बल्कि उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अतः हमें विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। विलंब की क्षमा के लिये दायर आवेदन **खारिज** किया जाता है। परिणामस्वरूप अपील भी खारिज होती है।

11. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी-कर्मचारी के अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उनकी परीक्षा अवधि पहले ही पूर्ण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हो चुकी है, इसलिए, यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं के अनुसार जब वह परीक्षा पर थे तब उन्हें अध्ययन अवकाश देने में कोई बाधा थी, वह स्थिति अब समाप्त हो गई है, और प्रत्यर्थी-कर्मचारी को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आक्षेपित निर्णय का अनुपालन करते समय, अपीलकर्ता इस तथ्य पर विचार करते हैं कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने परीक्षा की अवधि पहले ही पूर्ण कर ली है और अब अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र है और पीएचडी पूर्ण करने में केवल आठ माह बचे हैं, अर्थात् उन्हें मार्च, 2027 तक पीएचडी पूर्ण करनी है। अपीलकर्ताओं को इस पक्ष पर विचार करने की सलाह दी जाती है।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

9 फरवरी, 2026

पीयूष